#### अध्याय ।।।

इस अध्याय में पंचायती राज संस्थानों से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा के चार अनुच्छेद समाहित हैं।

### ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

### 3.1 अनाधिकृत व्यय

आरटीपीपी नियम, 2013 के प्रावधानों के उल्लंघन में अतिरिक्त सामग्री/कार्य का उपापन किए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 6.16 करोड़ का अनाधिकृत व्यय हुआ ।

राजस्थान लोक-उपापन में पारदर्शिता (आरटीपीपी) नियम, 2013 का नियम 73 (2) यह प्राविधत करता है कि यदि बोली दस्तावेजों में ऐसा उपबंधित हो एवं मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियाँ आमंत्रित किए जाने के बाद दिया गया हो, तो अतिरिक्त मदों एवं अतिरिक्त मात्राओं के लिए पुनः आदेश, अनुबंध में दी गई दरों और शर्तों पर दिए जा सकते हैं। प्रदाय अथवा पूर्णता की कालाविध भी आनुपातिक रूप में बढाई जा सकेगी। पुनः आदेश की सीमा, किसी भी मद की मात्रा के 50 प्रतिशत एवं मूल संविदा के मूल्य के 50 प्रतिशत तक होगी।

आरटीपीपी नियमों के नियम 29(2)(स्व) के प्रावधानानुसार दर संविदा की कालाविध सामान्यतया एक वर्ष, अधिमानतः एक वित्तीय वर्ष होगी। यदि बाजार कीमतों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होना प्रत्याशित हो अथवा प्रत्याशित न हो तो इसे क्रमशः कम कालाविध अथवा दीर्घ कालाविध (अधिकतम दो वर्ष) के लिए किया जा सकेगा तथा दर संविदा की कालाविध के चयन के कारण अभिलिखित किये जायेंगे। आगे, उक्त नियमों का नियम 29(2)(झ) प्राविधत करता है कि नई दर संविदाएं विद्यमान दर संविदाओं की समाप्ति के ठीक पश्चात् बिना किसी अंतराल के प्रभावी हो जानी चाहिए। यदि अपरिहार्य कारणों से नई दर संविदाओं को तय करना संभव नहीं हो तो, विद्यमान दर संविदाओं को समान मूल्य, नियम और शर्तों पर तीन माह से अनाधिक की अविध के लिए बढ़ाया जा सकता है।

चार पंचायत समितियों (डीग, कामां, घाटोल और पिण्डवाडा) के अभिलेखों की नमूना-जांच (सितंबर से अक्टूबर 2019, सितंबर 2021 एवं फरवरी 2022) में प्रकट हुआ कि पंचायत समिति डीग और कामां ने उनके क्षेत्राधिकार में आने वाली 48 ग्राम पंचायतों में सामग्री की आपूर्ति के लिए निविदाएं आमंत्रित की (सितंबर 2017) तथा पंचायत समिति घाटोल एवं पिण्डवाडा ने उनके क्षेत्राधिकार में आने वाली ग्राम पंचायतों में कार्यों के निष्पादन के लिए निविदाएं आमंत्रित की (मार्च और जून 2017) । उक्त निविदाएं, वार्षिक दर संविदा के आधार पर वर्ष 2017-18 के लिए अनुमानित मूल्य ₹ 10 लाख (पंचायत समिति डीग और कामां की प्रत्येक ग्राम पंचायत), ₹ 25 लाख (पंचायत समिति घाटोल) और ₹ 2 लाख (पंचायत समिति पिण्डवाडा) के साथ आमंत्रित की गई थी । इस प्रकार कुल निविदत्त मूल्य ₹ 1.47 करोड़² था । पंचायत

<sup>1</sup> पंचायत समिति डीगः २९ ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति कामांः १९ ग्राम पंचायत ।

<sup>2</sup> पंचायत सिमिति डीगः ₹ 0.40 करोड़, पंचायत सिमिति कामांः ₹ 0.80 करोड़, पंचायत सिमिति घाटोलः ₹ 0.25 करोड़ एवं पंचायत सिमिति पिण्डवाडाः ₹ 0.02 करोड़ ।

समितियों ने सामग्री की आपूर्ति/कार्यों के निष्पादन के लिए आपूर्तिकर्ताओं/संवेदकों की निम्नतम दरें अनुमोदित की।

लेखापरीक्षा ने पाया कि, चार पंचायत सिनितयों (पंचायत सिनित घाटोल, पंचायत सिनित पिण्डवाडा, पंचायत सिनित डीग की चार³ ग्राम पंचायतों एवं पंचायत सिनित कामां की आठ⁴ ग्राम पंचायतों) में अतिरिक्त सामग्री/कार्य के उपापन की अनुमत्य सीमा (मूल निविदा मूल्य का 50 प्रतिशत), आरटीपीपी नियमों के नियम 73 (2) के प्रावधानानुसार मात्र ₹ 0.74 करोड़ थी, जिसके अनुसार उपापन किए जाने योग्य सामग्री/कार्य (मूल निविदा मूल्य तथा अतिरिक्त सामग्री/कार्य सिहत) की अधिकतम सीमा मात्र ₹ 2.21 करोड़ थी। तथापि पंचायत सिनितयों ने, इन अनुमत्य सीमाओं के समाप्त होने के बाद भी, आपूर्तिकर्ताओं/संवेदकों से उपापन जारी रखा एवं 2017-18 के दौरान ₹ 7.22 करोड़ मूल्य की कुल सामग्री/कार्य का उपापन किया। इस प्रकार उक्त पंचायत सिनितयों ने 2017-18 के दौरान अतिरिक्त सामग्री/कार्यों के उपापन पर ₹ 5.01 करोड़ का अनाधिकृत व्यय किया (विवरण परिशिष्ट XXIV में)।

इसके अलावा, पंचायत समिति डीग और घाटोल ने 2018-19 के दौरान 2017-18 की दर संविदा के अंतर्गत (दर संविदा 2017-18 की विस्तारित अविध जून 2018 में समाप्त हो गई थी) उसी आपूर्तिकर्ता/संवेदक से ₹ 1.15 करोड़ मूल्य की सामग्री/कार्य का उपापन किया (जुलाई-अक्टूबर 2018) और इस प्रकार, आगे भी 2018-19 के दौरान आपूर्तिकर्ताओं/संवेदकों को ₹ 1.15 करोड़ का अनाधिकृत भुगतान कर दिया । यह आरटीपीपी नियमों के नियम 29(2)(झ) का उल्लंघन था, जिसके अंतर्गत दर संविदा को केवल तीन महीने के लिए बढ़ाया जा सकता था।

मामला ध्यान में लाए जाने पर, पंचायत समिति डीग ने बताया (सितम्बर 2021) कि सामग्री की आपूर्ति हेतु निविदाएं आमंत्रित करते समय अन्य विकासात्मक योजनाओं के तहत प्राप्त अनुदान पर विचार नहीं किया जाता है एवं ऐसी योजनाओं के कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने की बाध्यता होती है, इसलिए अतिरिक्त सामग्री का उपापन अपरिहार्य हो जाता है। पंचायत समिति कामां ने आरटीपीपी नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में अतिरिक्त सामग्री के उपापन के लिए कोई कारण प्रस्तुत नहीं किये।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बताए गए कारण आरटीपीपी नियम 73(2) और 29(2)(झ) में निहित प्रावधानों में किसी तरह की छूट को न्यायोचित नहीं ठहराते हैं। अन्य विकासात्मक योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त हुए अनुदान को निविदाओं में शामिल किया जाना चाहिए।

खंड विकास अधिकारी, पंचायत समिति घाटोल ने तथ्यों को स्वीकारते हुए बताया (अक्टूबर 2019) कि पंचायत समिति में प्रधान के रिक्त पद के कारण 2018-19 के लिए निविदाएं आमंत्रित नहीं की जा सकीं तथा जन-प्रतिनिधियों की मांगों एवं ग्रीष्म ऋतु के कारण अतिरिक्त कार्यों का निष्पादन कराया गया। तथापि, राजस्थान सरकार ने एक भिन्न दृष्टिकोण अपनाया

<sup>3</sup> पंचायत समिति डीग की नमूना-जांच की गयी चार ग्राम पंचायतें कुचावटी, इकलेरा, गुहाना एवं मवई थी।

पंचायत सिमिति कामां की नमूना-जांच की गयी आठ ग्राम पंचायतें बिलंग, ओलेन्दा, कनवाडा, सोनोखर,
मुन्सेपुर, उचैरा, लेवाडा एवं सहेडा थी।

<sup>5</sup> पंचायत समिति घाटोलः ₹ 0.97 करोड़ एवं पंचायत समिति डीग (कुचावटी तथा मवई ग्राम पंचायतों में सामग्री की आपूर्ति करने हेतु)ः ₹ 0.18 करोड़ ।

(मार्च 2022) और बताया कि एमएलएएलएडी/एमपीएलएडी योजना के तहत निष्पादित किए जाने वाले कार्यों का निविदा के समय पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता था एवं ग्रामीण आदिवासी आबादी को समय पर पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कार्यों को नवीन निविदा की बजाय पूर्व अनुमोदित दरों पर निष्पादित कराया गया । पंचायत समिति पिण्डवाडा के संबंध में, राजस्थान सरकार ने बताया (मार्च 2022) कि लिपिकीय त्रुटि के कारण बोली दस्तावेज में अनुमानित राशि ₹ 22 लाख के स्थान पर ₹ 2 लाख अंकित कर दी गई थी । सरकार ने यह भी बताया कि आरटीपीपी नियमों के नियम 29(2)(घ) के अनुसार एक दर संविदा में मात्रा की कोई सीमा नहीं होती है और इसलिए, अतिरिक्त मात्रा पर 50 प्रतिशत की सीमा (जैसा कि आरटीपीपी नियमों के नियम 73(2) द्वारा निर्धारित है) दर संविदा पर लागू नहीं होती है।

पंचायत समिति घाटोल के संबंध में राजस्थान सरकार का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बताए गए कारण आरटीपीपी नियम 73(2) और 29(2)(झ) में निहित प्रावधानों में किसी तरह की छूट को न्यायोचित नहीं ठहराते हैं। राजस्थान सरकार का यह तर्क कि एमपीएलएडी योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की स्वीकृतियाँ गर्मी के मौसम के दौरान जारी होने के कारण उनको वार्षिक योजना की निविदाओं में शामिल नहीं किया जा सका, भी सही नहीं है क्योंकि एमपीएलएडी योजना के अंतर्गत 163 हैण्डपम्पों की स्वीकृतियाँ (₹ 0.82 करोड़) पहले ही जनवरी 2017 में जारी की जा चुकी थी, इसलिए इन कार्यों को वार्षिक योजना में आसानी से शामिल किया जा सकता था। आगे, अतिरिक्त हैण्डपम्पों के कार्यों के लिए नई निविदाएं आमंत्रित की जा सकती थीं एवं निविदा प्रक्रिया 34 दिनों के भीतर पूरी की जा सकती थी, जैसा कि आरटीपीपी नियमों के नियम 40 में निर्धारित है। इसके अतिरिक्त, पंचायत समिति घाटोल में वर्ष 2018-19 के दौरान, नियम 29(2)(झ) द्वारा अनुमत्य समयवृद्धि के बाद, बिना नई निविदाएं आमंत्रित किये, ₹ 0.97 करोड़ के कार्यों का निष्पादन भी उचित नहीं था। पंचायत समिति पिण्डवाड़ा के संबंध में, विभिन्न स्तरों पर जांच के बाद भी निविदा दस्तावेज में लिपिकीय त्रृटि होने की संभावना समझ से बाहर है। इसके अतिरिक्त, एक परिशिष्ट जारी करके लिपिकीय त्रृटि को ठीक किया जा सकता था । आगे, नियम 73(2) सभी प्रकार की संविदाओं पर लागू होता है और इसलिए, राजस्थान सरकार का तर्क कि नियम 73(2) द्वारा अतिरिक्त मात्रा पर लगाई गई सीमा दर संविदा पर लागू नहीं होती, बिना किसी वैधानिक आधार के है। राजस्थान सरकार ने पंचायत समिति डीग एवं कामां के संबंध में उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

इस प्रकार, आरटीपीपी नियम, 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अतिरिक्त सामग्री के उपापन के परिणामस्वरूप ₹ 6.16 करोड़ का अनाधिकृत व्यय हुआ ।

# 3.2 कार्यों का अनाधिकृत निष्पादन

पंचायत समिति ने आरटीपीपी अधिनियम एवं आरटीपीपी नियमों के प्रावधानों की अवहेलना करते हुए निविदाएं आमंत्रित किये बिना कार्यों का अनाधिकृत रूप से निष्पादन किया ।

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (आरटीपीपी) अधिनियम, 2012 की धारा 29 (1) के प्रावधानानुसार उपापन करने वाली प्रत्येक संस्था, खुली प्रतियोगी बोली को, उपापन हेतु अनुसरण

<sup>6</sup> विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास (एमएलएएलएडी) योजना एवं सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास (एमपीएलएडी) योजना ।

की जाने वाली सर्वाधिक अधिमानतः पद्धित के रूप में अपनाए जाने को प्राथमिकता देगी। आगे, उक्त अधिनियम की धारा 29 (5) प्रावधित करती है कि किसी खुली प्रतियोगी बोली के मामले में, उपापन करने वाली संस्था राज्य लोक उपापन पोर्टल पर बोलियों का आमंत्रण प्रकाशित कर एवं कम से कम एक अन्य स्रोत से, जो विहित की जाए, बोलियां आमंत्रित करेगी। साथ ही, आरटीपीपी नियम 2013 के नियम 5 में यह प्रावधान है कि ₹ पांच लाख या अधिक के अनुमानित मूल्य वाले कार्यों के उपापन में इलेक्ट्रॉनिक उपापन को अपनाना अनिवार्य होगा।

पंचायत समिति सपोटरा (जिला- करौली) की नमूना-जांच (फरवरी 2022) में प्रकट हुआ कि पंचायत समिति सपोटरा ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमएनआरईजीएस) तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अन्य योजनाओं के अंतर्गत 2017-18 के दौरान किए जाने वाले कार्यों हेतु सामग्री के उपापन के लिए निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) जारी की (नवंबर 2017)। पंचायत समिति ने उपरोक्त स्वरीद के लिए एक आपूर्तिकर्ता की न्यूनतम दरों को अनुमोदित किया (दिसंबर 2017)। आपूर्तिकर्ता से यह अनुबंध केवल निर्माण सामग्री के उपापन के लिए किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पंचायत समिति सपोटरा ने, 2018-19 और 2019-20 के दौरान, पृथक निविदाएं आमंत्रित करने के बजाय, उसी आपूर्तिकर्ता से मोटर सिंहत बोरवेलों की स्थापना के ₹ 2.50 करोड़ के 192 कार्य करवाए | पंचायत समिति की यह कार्यवाही आरटीपीपी अधिनियम, 2012 की धारा 29 (1) एवं 29 (5) और आरटीपीपी नियम 2013 के नियम 5 का सीधा उल्लंघन थी | यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि आपूर्तिकर्ता के साथ 2017-18 के लिए निष्पादित किए गए आपूर्ति अनुबंध में बोरवेल के कार्यों की मदें सम्मिलित नहीं थी | इस प्रकार, पंचायत समिति को बोरवेल के कार्यों के निष्पादन के लिए अलग से निविदाएं आमंत्रित करने की आवश्यकता थी |

इस प्रकार, पंचायत समिति ने आरटीपीपी अधिनियम और आरटीपीपी नियमों के प्रावधानों की अवहेलना करते हुए, बिना निविदाएं आमंत्रित किए ₹ 2.50 करोड़ के कार्यों का अनाधिकृत रूप से निष्पादन किया।

प्रकरण राज्य सरकार को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया (अप्रैल 2022); उत्तर प्रतीक्षित रहा (जुलाई 2022)।

#### पंचायती राज विभाग

## 3.3 अनाधिकृत भुगतान

ग्राम सभाओं में कराए गए कार्यों के लिए भुगतान, विद्यमान नियमों का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए किया गया । इसके अलावा, मस्टर रोल में नामों का दोहराव/उल्लेख नहीं होना, जाली भुगतान एवं निधियों के दुर्विनियोजन की संभावना को इंगित करता है ।

राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 (आरपीआरआर) का नियम 211 यह प्रावधित करता है कि धन का आहरण केवल चैकों के माध्यम से किया जाएगा एवं अन्य व्यक्तियों को भुगतान केवल खाते में भुगतान योग्य चैकों के माध्यम से किया जाएगा। आगे, यह नियम निर्धारित करता है कि पक्षकार सीधे बैंक/कोषागार/उप-कोषागार से भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। संबंधित बिल पर

चैक संख्या और तारीख का सन्दर्भ अनिवार्य रूप से उल्लेखित किया जाएगा ताकि एक ही बिल का दोहरा भुगतान नहीं किया जा सके।

पंचायत समिति तालेड़ा (जिला-बूंदी) एवं चयनित पांच ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच (फरवरी-मार्च 2021) में प्रकट हुआ कि सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी द्वारा आरपीआरआर के उपर्युक्त प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए, सरपंच/सामग्री-आपूर्तिकर्ता/अन्य व्यक्ति के नाम पर चैक जारी किए गए, जैसा कि नीचे **तालिका 1** में वर्णित है:

तालिका 1

क्र. सं.	ग्राम पंचायत/पंचायत समिति का नाम	अवधि	राशि (₹ में)
1	सूंथडा	2018-19 से 2019-20	15,25,450
2	नोताडा	2017-18 से 2019-20	22,67,489
3	सींटा	2018-19 से 2019-20	19,28,144
4	सुवासा	2017-18 से 2019-20	19,88,916
5	लाडपुर	2017-18 से 2019-20	26,49,630
6	पंचायत समिति तालेड़ा	2018-19	36,800
योग			1,03,96,429

चूंकि चैक श्रमिकों के बजाय अन्य व्यक्तियों के नाम पर जारी किए गए थे, लेखापरीक्षा को यह आश्वासन नहीं हो सका कि भुगतान वास्तविक श्रमिकों को किया गया था।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि ग्राम पंचायत नोताडा में "ग्राम बाथपुरा में टैंक के निर्माण के साथ सिंगल फेज ट्यूबवैल" कार्य हेतु 3 से 15 जुलाई 2018 की अवधि के लिए चार श्रमिकों को भुगतान किया गया था। दिलचस्प है कि, उन्हीं चार श्रमिकों के नाम उसी अवधि में, एक अन्य कार्य "प्रेमचंद के घर से मोतीलाल कुशवाह के घर तक सीसी सड़क का निर्माण" के अभिलेखों में पाए गए, जिसके लिए उन्हें अलग से भुगतान किया जाना दर्शाया गया था।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि ग्राम पंचायत नोताडा में, "गांव नोताडा भोपत में तेजाजी मंदिर में उद्यान की सुरक्षा दीवार का निर्माण" के कार्य से संबंधित दिसंबर 2018 से जनवरी 2019 के मस्टर रोल<sup>7</sup> में श्रमिकों के नाम नहीं थे, जबकि ₹ 1,18,950<sup>8</sup> का भुगतान एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर किया गया, जो कि सामग्री आपूर्तिकर्ता था।

इस प्रकार, आरपीआरआर के प्रावधानों की अनुपालना नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 1.04 करोड़ का अनाधिकृत भुगतान हुआ । इसके अतिरिक्त, जाली भुगतानों एवं निधियों के दुर्विनियोजन की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है।

प्रकरण राज्य सरकार को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया (जुलाई 2021); उत्तर प्रतीक्षित रहा (जुलाई 2022)।

.

<sup>7</sup> संख्या 1184, 1185 एवं 1348

<sup>8 ₹ 59,550 (</sup>मस्टर रोल संस्था 1184), ₹ 33,000 (मस्टर रोल संस्था 1185) एवं ₹ 26,400 (मस्टर रोल संस्था 1348)

## 3.4 स्वयं सहायता समूहों से सीड मनी की वसूली का अभाव

आईडब्ल्यूएमपी के परिचालन दिशा-निर्देशों और विभाग के दिशा-निर्देशों की अनुपालना में विफलता के परिणामस्वरूप स्वयं सहायता समूहों से ₹ 1.66 करोड़ की वसूली का अभाव रहा, इस प्रकार भूमिहीन/परिसंपत्तिविहीन व्यक्तियों की आजीविका की गतिविधियों को संबल देने के उद्देश्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा ।

भारत सरकार ने, निवल जोत क्षेत्र एवं कृषि योग्य बंजर भूमि के वर्षा सिंचित भागों को विकसित करने के उद्देश्य से *एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी)* आरम्भ किया (2009-10)। भारत सरकार ने 2011 में 'भूमिहीन/परिसंपत्तिविहीन व्यक्तियों के लिए आजीविका गतिविधियों' पर केंद्रित प्राथमिकता के साथ वाटरशेड विकास परियोजनाओं (संशोधित) के सामान्य दिशा-निर्देश जारी किए । *आईडब्ल्यूएमपी* के अन्तर्गत उपर्युक्त घटक के परिचालन दिशा-निर्देशों (नवंबर 2011) में, प्रावधान किया गया कि आजीविका की गतिविधियों को संबल देने के लिए, सम्पूर्ण परियोजना निधि का नौ *प्रतिशत* ग्राम स्तर की समितियों<sup>9</sup> (वाटरशेड समितियां /वाटरशेड उपसमितियां<sup>10</sup>) को प्रदान किया जाएगा । वाटरशेड समितियों/उपसमितियों को यह निधि हाशिए पर रहने वाले समुदायों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा भूमिहीन/परिसंपत्तिविहीन परिवारों, महिलाओं इत्यादि से बने स्वयं सहायता समूहों को 'रिवॉल्विंग फंड हेतु सीड मनी' के रूप में प्रदान करनी थी। एक स्वयं सहायता समूह को उसकी प्रस्तावित गतिविधि(यों) के वाटरशेड समितियों/उपसमितियों द्वारा अनुमोदन के पश्चात ₹ 25,000 तक की प्रारंभिक राशि, सीड मनी के रूप में दी जा सकती थी। स्वयं सहायता समूह को, इस सीड मनी को अधिकतम 18 निश्चित मासिक किश्तों में वापस करना आवश्यक था, ताकि उक्त राशि को आगे उसी अथवा अन्य स्वयं सहायता समुहों में उनकी आजीविका गतिविधियों को संबल प्रदान करने के लिए, पुनर्निवेशित किया जा सके।

वाटरशेड विकास परियोजनाओं के संशोधित सामान्य दिशा-निर्देशों (2011) में वाटरशेड विकास योजनाओं के लिए एक सुदृढ़ निगरानी तन्त्र निर्धारित किया गया। इन दिशा-निर्देशों में निर्धारित था कि जिला परिषद स्तर पर, एक वाटरशेड सैल-कम-डेटा सेंटर (डब्ल्यूसीडीसी), जिसमें अध्यक्ष के रूप में मुख्य कार्यकारी अधिकारी और एक अधीक्षण अभियंता-सह-पदेन परियोजना प्रबंधक सम्मिलित होंगे, अनुश्रवण तथा मूल्यांकन करके जिले में वाटरशेड विकास की योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा एवं योजनाओं के लिए धन के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करेगा। परियोजना स्तर पर, अधिशासी अभियंता/सहायक अभियंता (वाटरशेड विकास और मृदा संरक्षण), परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) के रूप में काम करेंगे और डब्ल्यूसीडीसी को एक आविधक प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेंगे।

<sup>9</sup> वाटरशेड समितियां/उपसमितियां गांव में स्वयं सहायता समूह, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय, महिलाओं तथा भूमिहीन व्यक्तियों के प्रतिनिधियों से मिलकर बनी होती है। वाटरशेड समितियां/उपसमितियां आईडब्ल्यूएमपी के तहत भारत सरकार से निधियां प्राप्त करने, स्वयं सहायता समूहों के आवेदनों पर विचार करने एवं सीड मनी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु स्वयं सहायता समूहों के अनुमोदन के संबंध में प्रस्ताव पारित करने के लिए होती हैं।

<sup>10</sup> यदि ग्राम पंचायत में एक से अधिक ग्राम शामिल हैं, तो वाटरशेड विकास परियोजना के प्रबंधन के लिए प्रत्येक ग्राम हेतु एक पृथक वाटरशेड उपसमिति का गठन किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, आईडब्ल्यूएमपी के संबंध में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग द्वारा जारी की गई कार्य निर्देशिका-2013 में भी यह प्रावधित था कि परियोजना निधि को वाटरशेड सिमितियों/उपसिनियों को हस्तांतरित किया जाएगा, जो इसे आगे स्वयं सहायता समूहों को सीड मनी के रूप में हस्तांतरित करेंगी। इसमें यह भी प्रावधान था कि स्वयं सहायता समूहों से सीड मनी की वसूली छह से आठ किश्तों में की जाएगी एवं यदि कोई स्वयं सहायता समूह समय पर पहली किश्त का पुनर्भुगतान नहीं करता है, तो वाटरशेड सिमितियों/उपसिनियों द्वारा स्वयं सहायता समूह को पहले एक नोटिस दिया जाएगा एवं उसके बाद भी पुनर्भुगतान करने में विफल रहने पर स्वयं सहायता समूह द्वारा सीड मनी के माध्यम से अर्जित की गई संपत्तियों को वाटरशेड सिमितियों/उपसिनियों द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। स्वयं सहायता समूह की संपत्तियों का अधिग्रहण न हो पाने की स्थिति में, स्वयं सहायता समूह के बैंक स्वाते एवं उसके लिए गारंटी देने वाले सदस्यों से सीड मनी की वसूली की जाएगी। स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्य व्यक्तिगत और संयुक्त रूप से ऋण राशि की अदायगी के लिए जिम्मेदार होंगे।

जिला परिषद (आरडीसी), पाली एवं जिला परिषद (आरडीसी), चित्तौड़गढ़ के अभिलेखों की नमूना-जांच (जनवरी-अप्रैल 2019) तथा आगे एकत्र की गई जानकारी (अक्टूबर 2021) से प्रकट हुआ कि उक्त दो जिला परिषदों की 12 पंचायत समितियों के अंतर्गत वाटरशेड समितियों/उपसमितियों ने 2012-17 के दौरान विभिन्न स्वयं सहायता समूहों को आईडब्ल्यूएमपी के अंतर्गत सीड मनी के रूप में ₹ 1.99 करोड़ की राशि जारी की । परिचालन दिशा-निर्देशों के अनुसार सीड मनी को अधिकतम 18 मासिक किश्तों में लौटाया जाना था, लेकिन वाटरशेड समितियों/उपसमितियों ने दिसंबर 2018 तक स्वयं सहायता समूहों से केवल ₹ 0.33 करोड़ की वसूली की । उसके बाद कोई वसूली नहीं की गई एवं अक्टूबर 2021 को ₹ 1.66 करोड़ की राशि की वसूली बकाया थी (विवरण परिशिष्ट XXV में) । लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि वाटरशेड समितियों/उपसमितियों द्वारा मासिक किश्त के संग्रहण की प्रणाली लागू नहीं की गई थी, क्योंकि दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए ₹ 0.33 करोड़ की राशि केवल एक या दो किश्तों में वसूल की गई थी ।

इस प्रकार, न तो परियोजना स्तर पर अधिशाषी अभियंता/सहायक अभियंता (वाटरशेड विकास और मृदा संरक्षण) ने दिशा-निर्देशों के अनुसार आईडब्ल्यूएमपी लागू किया और न ही जिला परिषद स्तर पर संबंधित जिला परिषदों के सीईओ और अधीक्षण अभियंता-सह-पदेन परियोजना प्रबंधकों (डब्ल्यूसीडीसी) ने उनके जिलों में वाटरशेड विकास योजनाओं के कार्यान्वयन का अनुश्रवण किया।

परियोजना प्रबंधक, डब्ल्यूसीडीसी (जिला-चित्तौड़गढ़) ने बताया (मार्च 2019) कि पंचायत सिमित स्तर पर कर्मचारियों की कमी एवं परियोजनाओं में वाटरशेड विकास दलों के परिनियोजित न होने के कारण, स्वयं सहायता समूहों से वसूली नहीं की जा सकी एवं वसूली के प्रयास किए जा रहे हैं। तथापि, राजस्थान सरकार ने, एक अलग दृष्टिकोण अपनाते हुए बताया (मई 2022) कि निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, निधियों को अनुदान के रूप में वाटरशेड सिमितयों/ उपसमितियों को हस्तांतरित किया गया था तथा उनसे इसे वसूल करने का कोई प्रावधान नहीं है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा का तर्क वाटरशेड समितियों/उपसमितियों से परियोजना निधि की वसूली के बारे में नहीं है बल्कि यह स्वयं सहायता समूहों से सीड मनी की वसूली नहीं करने और नियमित किश्त के माध्यम से वसूली की प्रणाली के नहीं होने के बारे में है। दिशा-निर्देशों के अनुसार परियोजना निधि को वाटरशेड समितियों/उपसमितियों को हस्तांतरित किया जाना था, जिन्हें इसे आगे स्वयं सहायता समूहों को सीड मनी के रूप में उधार देना था तथा किश्तों के माध्यम से इसकी वसूली करनी थी।

इस प्रकार, आईडब्ल्यूएमपी के परिचालन दिशा-निर्देशों एवं विभाग की कार्य निर्देशिका-2013 का पालन करने में विफलता के कारण ₹ 1.66 करोड़ की वसूली नहीं हुई। परिणामस्वरूप वाटरशेड गतिविधियों के माध्यम से उत्पन्न क्षमता के अधिकतम उपयोग, वाटरशेड क्षेत्र के भीतर परिवारों की आय में वृद्धि एवं सतत आजीविका के सृजन करने के उद्देश्य, जो कि सीड मनी प्रदान करने एवं वसूल करने की सतत प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त किये जाने थे, भी प्राप्त नहीं किए गए।

जयपुर,

27 सितम्बर, 2022

(के. सुब्रमण्यम)

प्रधान महालेखाकार

(लेखा परीक्षा-I), राजस्थान

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2022

(गिरीश चंद्र मुर्मू) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक